Dr. Priti Ranjan
Assistant Professor
H.D Jain College (Ara)
B.A Part-I
Paper-1
Topic - Rig Vedic Sabhyata.
Part - II.

वैदिक काल (1500 ई०पू० से 600 ई०पू०)

ऋग्वैदिक काल (1500 - 1000 ई०पू०) / उत्तरवैदिक काल 1000 - 600 ई०पू०

ऋग्वैदिक काल

भारत में आर्यों के आगमन से छठी सदी ईसा पूर्व काल तक की अवधि को वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस अवधि को दो भागों में बाँटा जा सकता है — ऋग्वैदिक काल (1500 ई० पू० से 1000 ई०पू०) और उत्तरवैदिक काल (1000 ई०पू० से 600 ई०पू०)

ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है 1. साहित्यिक साक्ष्य तथा पुरातात्विक साक्ष्य।

साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दस मंडल एवं 1028 सूक्त है। पहला और दसवां मण्डल बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा से सातवाँ मंडल पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य है —

1. चित्रित धूसर मृद्भांड एवं गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति
2. बोगजकोई अभिलेख 1400 ई० पू०
3. कस्सी अभिलेख (1600 ई०पू०) ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन.

मध्य एशिया के एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ई०पू० का एक अभिलेख मिला है, जिसमें हित्ती राजा शुब्बिलुलिमा और मितन्नी राजा मतिउअजा के मध्य संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य को उद्धृत किया गया है।

वैदिक काल (1500 ई०पू० से 600 ई०पू०)

ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई०पू०) / उत्तरवैदिक काल 1000-600 ई०पू०

ऋग्वैदिक काल

भारत में आर्यों के आगमन से लेकर सही ईसा पूर्व काल तक की अवधि को वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस अवधि को दो भागों में बाँटा जा सकता है — ऋग्वैदिक काल (1500 ई०पू० से 1000 ई०पू०) और उत्तरवैदिक काल (1000 ई०पू० से 600 ई०पू०)

ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं 1. साहित्यिक साक्ष्य तथा पुरातात्विक साक्ष्य।

साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दस मंडल एवं 1028 सूक्त है। पहला और दसवां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा से सातवाँ मंडल पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य है —

1. चित्रित धूसर मृद्भांड एवं गैरिक मृद्भांड संस्कृति
2. बोगजकोई अभिलेख @ 1400 ई०पू०
3. कस्सी अभिलेख (1600 ई०पू०) ईरानी आर्यों की एक शाखा के भारत आगमन.

मध्य एशिया के एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ई०पू० का एक अभिलेख मिला है, जिसमें हित्ती राजा शुब्बिलिमा और मितन्नी राजा मतिउअजा के मध्य संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य को उद्धृत किया गया है।

आर्यों के 1500 ई० पू० में भारत आगमन तथा आर्यों के मूल निवास स्थान मध्य एशिया होने की मैक्समूलर की अवधारणा वैसे तो मान्य अवधारणा बन चुकी है किन्तु आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों को ही निर्दिष्ट किया है:-

एशिया - मध्य एशिया - मैक्समूलर
तिब्बत - दयानंद सरस्वती
पामीर का पठार - मेयर्स

भारत
मध्य प्रदेश - राजबलि पाण्डे
कश्मीर - एल० डी० कल्ला

यूरोप
जर्मनी - पेंका व हर्ट
हंगरी - गाइल्स
दक्षिणी रूस - नेहरिंग

आर्कटिक प्रदेश - बालगंगाधर तिलक

ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। सतलज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा जाता था और इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केन्द्र माना जाता था। इसकी पूर्वी सीमा हिमाचल और तिब्बत, उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली थी।

आर्य विभिन्न कबीलों में तथा आर्यों की एक से अधिक अधिक शाखा भारत आई। आर्यों के मुख्य शासक वंश भरत व त्रित्सु था। ऋग्वेद में भरत वंश के शासक दिवोदास द्वारा शंबर को हराने का उल्लेख है। संभवतः आर्यों का संघर्ष गेरिक मृदभांड एवं लाल व काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ।

आर्य विजयी रहे और उनके विजय के अग्रलिखित कारण थे - ① घोड़े चलित रथ ② कांसे के उपकरण ③ कवच (वर्मन)

आर्यों के भारत आगमन एवं यहाँ के स्थानीय निवासियों अर्थात् दास व दस्युओं से उनके संघर्ष का पता ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द पुरन्दर व पुरचरिष्णु से लगता है जिसका अर्थ क्रमशः 'पुर' अर्थात दुर्ग को जीतने वाला व दुर्गों को गिराने वाला से है। दस्यु को अनास (चपटी नाक वाला) अकर्मण (वैदिक कर्मों में विश्वास न करने वाला) अदेवयु (वैदिक देवता में विश्वास न करने वाला) एवं शिश्नदेवा (लिंग पूजक) कहा जाता था।

ऋग्वेद में परुष्णी (रावी) नदी के किनारे दाशराज्ञ युद्ध होने का उल्लेख है। यह मान्यता है कि दसों राजाओं ने परुष्णी नदी को मोड़ने का प्रयास किया ~~जिसे सु~~ जिस कारण सुदास के साथ उनका युद्ध हुआ। सुदास ने दसों राजाओं के संघ को हराया।

ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी की चर्चा मिलती है जो इसके महत्वपूर्ण होने का संकेत देता है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा भी कहा गया है। गंगा की चर्चा एक बार तथा यमुना की चर्चा तीन बार ऋग्वेद में है।

ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग जलराशि हेतु किया गया है। मरुस्थल के लिए 'धन्व' शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा जाता है 'पर्जन्य' (बादल) ने धन्व को पार करने योग्य बनाया। ऋग्वैदिक आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे, इसकी दो चोटियाँ हिमवंत व मुंजवत की चर्चा की गई है। इसके साथ ही अन्य चोटियों की भी चर्चा है। प्रारंभिक वैदिक ~~सा~~ साहित्य में केवल एक क्षेत्र गांधार की चर्चा है।

राजनीति

ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, किन्तु बाद के काल राजा की स्थिति स्पष्ट होने लगी। राजा के मुख्य दो कर्तव्य थे - ① युद्ध में नेतृत्व 2. कबीले की रक्षा। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था किन्तु गणों का भी अस्तित्व था, जिसका प्रधान गणपति होता था। राजा की पहचान उसके कबीले से होती थी। राजा को 'जनस्य गोपा' कहा जाता था। वैसे अन्य नाम भी थे - विशपति, ग्रामिणी, गणानां गणपति इत्यादि। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को एक कर देते थे इसे 'बलि' कहा जाता था।

कुछ कबीलाई संस्थाएँ भी अस्तित्व में थी सभा, समिति, विदथ और गण। सभा के सदस्य समाज के श्रेष्ठ जन होते थे जिसे सुजात कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है।

समिति आम लोगों की सभा थी। यह राजा का चुनाव करती थी। समिति के अध्यक्ष को 'ईशान' कहा जाता था। ऋग्वेद में समिति की चर्चा 9 बार हुई है। ऋग्वेद में विदथ की चर्चा 22 बार हुई है। संभवतः विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है।

प्रशासन

ऋग्वैदिक निर्वाह अर्थव्यवस्था में अधिशेष की गुंजाइश कम थी। अतः करारोपण प्रणाली भी स्थापित नहीं हो पायी तथा राजकीय अधिकारियों की संख्या भी सीमित है, फिर भी राजा की सहायता हेतु अनेक अधिकारियों की चर्चा की गई है -

① पुरोहित - युद्ध परामर्श हेतु ② सेनानी - सेना का नेतृत्वकर्ता
③ कुलपति - परिवार का मुखिया ④ विशपति - विश की प्रधानता
⑤ व्राजपति - चारागाह का अधिकारी - तथा कुलप को युद्ध के संगठित करते

6. ग्रामणी - ग्राम का प्रधान 7. स्पर्श - गुप्तचर
8. दूत - सूचना संप्रेषण कर्ता 9. पुरप - दुर्ग का अधिकारी।

प्रशासनिक इकाई

ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल या गृह (परिवार) होता था। उसके ऊपर ग्राम होता था। ग्राम के ऊपर 'विश' तथा सबसे ऊपर 'जन' होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार जबकि जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। विश शब्द की चर्चा 170 बार हुई है

न्याय व्यवस्था

इस काल का सबसे बड़ा अपराध पशु-चोरी को माना जाता था। हत्या का दण्ड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड द्रव्य के रूप में 100 गायों तक किया जाता था। वरदेय (बदला चुकाने की प्रथा) का प्रचलन था।

चिकित्सा

वैद्य को भीषक कहते थे। अश्विन देवता थे। उन्होंने परावृज का अंधापन दूर किया तथा च्यवन ऋषि को पुनः जवान बना दिया। विश्पाला के कृत्रिम पैर लगाए।